

कार्यालय ग्राम पंचायत

ज्ञापक / दिनांक
कार्यादेश

किस

श्री/श्रीमती/सो०

(स्वयं सहायता समूह/मैठ)

ग्राम पंचायत ग्रामक :- तामड़

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) के अन्तर्गत ग्राम में

निर्माण प्रावकलित राशि
को में करने हेतु आपके द्वारा दाखिल एकरारनामा को स्वीकृत किया गया है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त योजना का निर्माण दिनांक तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रति मजदूर गानक दिवस एवं गज मिस्त्री को को निर्धारित दर पर मुमतान करने हेतु प्रत्येक सप्ताह संचारित मास्टर रोल एवं अभिभव पंचायत कार्यालय में जमा करेंगे। ताकि निर्बंधित मजदूरों को मजदूरी मुमतान सप्तम बैंक/हाकबर से किया जा सके एवं तदनुसार उसका एम0आई0एस0 प्रविष्टी करायी जा सके। संबंधित मास्टर रोल को उक्त योजना के निगरानी समिति के सदस्यों एवं ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों सन्मपित करना सुनिश्चित करेंगे।

रोजगार सेवक

पंचायत सचिव

मुखिया

ज्ञापक : / दिनांक

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मीय अभियन्ता श्री को सूचनार्थ प्रेषित।

रोजगार सेवक

पंचायत सचिव

मुखिया

अनुलग्नक 1 - घोषणा-पत्र

(यह उपन केवल बेसी योजना के लिए भरना है जो व्यक्तिगत है व 1 लाख रूपए से कम की प्राकृतिक जल संधि की है अथवा व्यक्तिगत डो/पा/पोखर/नालाह की योजना है व 1.5 लाख रूपए से कम की प्राकृतिक संधि की है।)

क. पिता/पति
 गाँव ग्राम पंचायत संख.
 पिछा का/की स्थायी निवासी हूँ।

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा मेरी / पुरस्तेनी जमीन पर मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु योजना का तयन किया गया है जिसका खाता संख्या....., खसरा संख्या..... एवं रकबा..... है। मैं अनुरोधित जाति / अनुसूचित जनजाति / चुंगु जनजाति / अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ / गरीबी रेखा से नीचे का परिवार / महिला प्रधान वाला परिवार / शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार / भूमि सुधार का हितग्राही / इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितग्राही / लघु किसान (2.5 - 5 एड़ रकबे जमीन पर खेती करते हों) / सीमान्त किसान (2.5 एड़ या उससे कम रकबे जमीन पर खेती करते हों) से आता/आती हूँ। मेरा जाँच कार्ड संख्या..... है।

संयोजित कार्य के क्रियान्वयन से मेरे परिवार की आजीविका वृद्धि में सहयोग होगा।

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि:-

- योजना स्थल मेरी देवती जमीन है एवं पूर्णतः मेरे दखल में है।
- किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है।
- यह जमीन गैर-मजरूआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह / शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है।
- मनरेगा अधिक इसमें काम कर सकते हैं; इससे मुझे किसी प्रकार की कोई नसि नहीं है।
- प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण में सत्य है। अत्रिचय में मेरे द्वारा दी गई जवाबदारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेदार हूँगा।

स्थान: दिनांक: साभुका या हस्ताक्षर अंगूठे का निशान

सा गपन पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण में सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांक पर पारित किया गया है एवं ग्राम सभा मंजी संख्या..... की पृ संख्या..... की योजना प्राधिकृत संख्या पर अधिक है।

प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की जमीन गैर-मजरूआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है। इसमें यदि कोई बूटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेदार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान: दिनांक: वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर PESA क्षेत्र / पारंपरिक ग्राम-स्थान का हस्ताक्षर

अनुलग्नक 2: तकनीकी प्रतिवेदन प्रारूप

जिला: / _____ / प्रखंड: / _____

ग्राम पंचायत: / _____ / राजस्व गाँव: / _____ / टोला: / _____

योजना का नाम: / _____

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____

यह प्राक्कलन वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष / _____ / के आधार पर स्थल निरीक्षणोपरांत वर्तमान में प्रभावित अनुसूची दर एवं प्रभावित मजदूरी दर रुपए / _____ / प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया गया है।

जमीन से संबंधित प्रतिवेदन - 1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना के लिए अनु० - 1 तथा अन्य योजना हेतु अंचल प्रतिवेदन अलग से संलग्न हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावित प्लाट का खाता संख्या / _____ / प्लॉट संख्या / _____ / एवं जमीन की इकाई / _____ / है।

इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

योजना की प्राक्कलित राशि:

मजदूरी (अकुशल): रु / _____ /

सामग्री: [अर्धकुशल मजदूरी: रु / _____ /; कुशल मजदूरी: रु / _____ /; सामग्री: रु / _____ /]

अकस्मिकता (contingency): रु / _____ /

कुल: रु / _____ /

योजना के कार्यान्वयन में अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मजदूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त तकनीकी प्राक्कलन संलग्न है।

कलीय अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

सहायक अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

अनुलग्न 3: योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चेक स्लिप

जिला: / /; प्रखंड: /

ग्राम प्रधान: / /; राजस्व गाँव: / /; टीला: /

योजना का नाम: /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): /

लाभुक की जानकारी

लाभुक का नाम (अगर व्यक्तिगत योजना है): /

लाभुक का जॉब कार्ड संख्या (अगर व्यक्तिगत योजना है): /

अगर व्यक्तिगत योजना है, तो लाभुक इनमें से कौन कौन सी श्रेणियों में आता है (1-1.5 लाख रुपए तक की योजना के लिए अनु० -1 के अनुरूप व अन्य योजना के लिए अंचल प्रतिवेदन अनु० उपर्युक्त श्रेणियों पर "✓" का निशान लगाए):

अनुसूचित जाति (SC): / /; अनुसूचित जनजाति (ST): / /; घुमंतु जनजाति: / /; अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ: / /; गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का परिवार: / /; महिला प्रधान वाला परिवार / /; शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार: / /; भूमि सुधार का हितवाही: / /; इंदिरा आवास योजना (IAY) का लाभार्थी: / /; अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितवाही: / /; लघु किसान (2.5 - 5 एकड़ रकने जमीन पर खेती करने हों) / /; सीमान्त किसान (2.5 एकड़ या उससे कम रकने जमीन पर खेती करने हों) /

ग्राम सभा प्रस्ताव का विवरण

ग्राम सभा की तिथि (जिस बैठक में यह योजना पारित हुई है): /

ग्राम सभा पंजी संख्या (जिसमें इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): /

ग्राम सभा पंजी की पृष्ठ संख्या (जिसपर इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): /

कौन सी तारीख को इस योजना का प्रस्ताव हुआ है: / /; योजना प्राथमिकता संख्या: /

योजना की जमीन का विवरण

जमीन का क्षेत्रफल (रकबा): एकड़ / /; खंटा संख्या: / /; प्लॉट संख्या: /

जमीन का किन्मा(उपर्युक्त श्रेणियों पर "✓" का निशान लगाए): निजी: / /; गैर राजस्व: / /; सरकारी जमीन: / /; अन्य (स्पष्ट करें) /

योजना की प्राक्कलित राशि अनु० के अनुरूप

मजदूरी (अर्धकुशल): रु /

सामग्री: अर्धकुशल मजदूरी: रु / /; कुशल मजदूरी: रु / /; सामग्री: रु /

आकस्मिकता (contingency): रु / /; कुल: रु /

योजना की अन्य जानकारी

अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मजदूरी दर: ₹ / _____ /; मजदूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. योजना से संबंधित भूमि प्रतिवेदन (1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना हेतु अनु० - 1 एवं अन्य हेतु अंचल प्रतिवेदन) संलग्न है।
2. इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी मद से कार्य नहीं हुआ है।
3. योजना में किसी भी प्रकार का duplication of work नहीं है।
4. योजना के प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. योजना का प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण मुक्त है।
6. योजना का प्राकल्पन स्थल निरीक्षण करने के बाद तैयार किया गया है।
7. योजना का प्राकल्पन सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर तैयार किया गया है।
8. योजना के प्रस्तावित स्थल पर लाभुक के साथ फोटो अभिलेख में संलग्न है।

तकनीकी स्वीकृति संख्या: / _____ /; तकनीकी स्वीकृति देने की तिथि: / _____ /

ग्राम पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

कालीय अभियंता / सहायक अभियंता का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

अनुलग्नक 4: योजना अभिलेख का सुझावित प्रारूप

ब्लॉक: _____ / प्रखण्ड: _____
 ग्राम पंचायत: _____ / राजस्व गाँव: _____ / योजना: _____
 योजना का नाम: _____
 योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): _____

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के विषय में टिपण्णी (तारीख के साथ)
1	2	3
	ग्राम पंचायत कार्यालय प्रखण्ड	
	<p>मनरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप तत्समय रोजगार मुहैया कराने के लिए निमित्त योजना का कार्य प्रारंभ कराने हेतु अभिलेख के संधारण के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं तथा प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना एवं अन्य अश्वित प्रविबेदन आवश्यक है।</p> <p>(अगर योजना व्यक्तिगत है व 1 लाख रुपए से कम की प्राकलित राशि की है अथवा व्यक्तिगत डोभा, पोखर व तालाब की योजना है व 1.5 लाख रुपए से वर की प्राकलित राशि की है।)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p>	
	<p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है इस योजना को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works से यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया। अनुलग्नक-1 के अनुसार लागू का घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य/ पारंपरिक ग्राम प्रधान द्वारा स्थापित प्राप्त है। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करने हेतु व प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजे।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: center;">पंचायत सचिव मुखिया</p> <p style="text-align: center;">(उपरोक्त की दे से भिन्न योजना)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p>	
	<p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है इस योजना को प्राप्त</p>	

पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works में यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया।

योजना संबंधित भूमि प्रतिवेदन अंचलाधिकारी के पत्रांक संख्या में प्राप्त हुई। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति लक्षम पदाधिकारी ने प्राप्त करते हुए प्रथमनिक स्वीकृति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजे।

लेखापित

पंचायत मन्त्र

मुखिया

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

अभिलेख उपस्थापित किया गया। योजना के प्राक्कनन एवं तकनीकी प्रतिवेदन/ स्वीकृति के लिए कर्तीय अभियंता/ महायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है।

लेखापित

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

(अगर योजना 10 लाख रु० से कम प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कर्तीय/महायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपा है। अब उपरोक्त योजना की प्रथमनिक स्वीकृति दी जा रही है। योजना का क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू करने की दिशा में काम किया जाए।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(अगर योजना 10 लाख रु० से अधिक प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कर्तीय/महायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपा है। अतः अब उपरोक्त योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक जिया से प्रथमनिक स्वीकृति हेतु जिला प्रामीण विकास अभिकेंद्रण जिला को भेजे।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

अनुलग्नक 5: अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(यह प्रपत्र केवल वैसी सामुदायिक योजनाओं के लिए है, जो निजी जमीन पर बनेंगी)

पत्रिका (सामुदायिक योजना-स्थल के जमीन मालिक)

गाँव ग्राम पंचायत
 प्रखण्ड जिला के स्थायी निवासी है।

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा हमारी/मेरी जमीन पर मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु योजना का चयन किया गया है, जिसका खाता संख्या है। इस योजना का कार्यान्वयन इच्छुक मजदूरों को रोजगार देने हेतु अतिआवश्यक है। यह योजना जनोपयोगी है एवं उक्त योजना के निर्माण से ग्राम के लिए स्थाई संपदा का निर्माण होगा।

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :

1. योजना स्थल हमारी वैसी जमीन है एवं पूर्णतः हमारे दखल में है।
2. योजना स्थल पर किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है।
3. योजना स्थल की जमीन गैर-मजसूदा (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है।
4. योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।
5. मनरेगा श्रमिक इस योजना में काम कर सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
6. योजना समाप्त होने के उपरांत सभी ग्राम वाली इस योजना को इतना कर सकते हैं।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण हमारी समझ से पूर्णतः सत्य है। भविष्य में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो हमारे विरुद्ध यथाचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती और स्वयं इसके लिये जिम्मेदार होंगे।

जमीन मालिक का नाम (सभी सम्बंधित जमीन मालिकों का नाम लिखें)	जमीन मालिक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान (सभी सम्बंधित जमीन मालिकों का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लें)

स्थान: दिनांक:

सत्यापन रसीद

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांक को पारित किया गया है एवं ग्राम सभा पंजी संख्या की पृष्ठ नम्बर की योजना प्राथिकता संख्या पर अंकित है।

प्र. लाहित धोखा जन कल्याणकारी द्वे व योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की जर्नल
भारत (GM) पर कृषि मंत्रालय / धार्मिक स्थान / कृषि एवं शमशासनादि से सम्बंधित जर्नल नहीं है। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी
तो इसके लिये ही जिम्मेदार होगा तथा उसे विरुद्ध यथावित् कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

वार्ड सदस्य / ग्रामपंचायत मुखिया / PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्रामप्रधान का हस्ताक्षर.....

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय अंचल अधिकारी, तमाड, (राँची)

पत्रांक.....

दिनांक.....

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. मौजा एवं थाना नं० :-
4. पंचायत का नाम :-
5. योजना का नाम :-
6. योजना संबंधित जमीन विवरण (खतियान के अनुसार) :-

मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा	मध्ये रकबा	किस्म

7. खतियानी रैयत :-
8. पंजी।। रैयत :-
9. खतियानी/पंजी।। रैयत एवं आवेदक का संबंध :-
10. राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिबंदन :-

राजस्व कर्मचारी

अंचल निरीक्षक

अंचल अधिकारी,
तमाड।

वशावली

मैं खालीयानी रयत/पंजीव। रयत का हूँ। जमीन के अन्य हिस्सेदारों से सहमति प्राप्त है। आवेदित जमीन पर मेरा दखल है। किसी भी न्यायालय में मामला विचाराधीन / आपसी हिस्सेदारों में विवाद नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वशावली मेरी जानकारी में सही/सत्य है। गलत पाये जाने पर इनकी सारी जवाबदेही मेरी होगी।-

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर/अनुमोदन :-